राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील आबकारी संख्या – 2499/2011/अलवर.

मैसर्स यूनाईटेड स्प्रिट्स लिमिटेड,
201–202, एम.आई.ए., अलवर जरिये महाप्रबंधक. .....अपीलार्थी.

बनाम

आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर जरिये
1. अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी, भरतपुर.
2. जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन. एस. राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17/02/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आयुक्त, आबकारी, राजस्थान उदयपुर (जिसे आगे **'आबकारी आयुक्त'** क़हा जायेगा) के प्रकरण संख्या प–29/बी/अभि./धौलपुर/आब/11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.10.2011 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9–ए के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि थानाधिकारी बसईडांग (धौलपुर) द्वारा दिनांक 29.11.2010 को नाकाबंदी के दौरान आठ मील पुलिस चौकी पर वाहन (ट्रक) संख्या आर.जे.14/जी–9791 को चैक किये जाने पर उसमें अंग्रेजी शराब बैगपाईपर व्हिस्की, प्रिमियम रोमनोव वोडका ओरेंज व रॉयल चैलेंज फाइनेस्ट शराब की पेटियां भरी मिली। उक्त माल अपीलार्थी मैसर्स यूनाईटेड स्प्रिट्स लिमिटेड, 201–202, एम.आई.ए. अलवर से आर.एस.बी.सी.एल. धौलपुर के लिये परिवहनित किया जा रहा था। उक्त शराब के कागजात चैक किये जाने पर ट्रांसपोर्ट परमिट संख्या ALR210589 दिनांक 27.11.2010 (FL6) पर अलवर–नगर–डीग मार्ग होना अंकित पाया गया एवं वैधता दिनांक 28.11.2010 तक अंकित पायी गयी, उक्त परमिट एक दिवस की अवधि के लिये जारी किया गया था। इस प्रकार वाहन चालक द्वारा उक्त परमिट के लिये निर्धारित मार्ग का उपयोग न कर अन्य मार्ग से माल का परिवहन किया जा रहा था तथा ट्रांसपोर्ट परमिट भी अवधिपार था। थानाधिकारी द्वारा इसकी सूचना जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर को दी गयी। इस पर आबकारी

लगातार.....2

निरीक्षक वृत धौलपुर ने अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में परमिट की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 58(सी) के तहत मुकदमा संख्या 2/1.12.2010 दर्ज किया। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को संयोज्य कराने हेतु प्रार्थना—पत्र दिनांक 17.5.2011 को प्रस्तुत किया गया। आबकारी आयुक्त ने विवादित आदेश दिनांक 12.10.2011 से उक्त प्रार्थना—पत्र स्वीकार करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 70 के तहत संयोज्य राशि के रूप में रूपये 10,00,000/— जमा कराने के निर्देश दिये। साथ ही उक्त राशि जमा के अभाव में आबकारी अधिनियम की धारा 34(सी) एवं राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 76(सी) के तहत अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आयुक्त आबकारी को दिनांक 19.5.2011 के पत्र संख्या 917 प्रेषित किये जाने पर आबकारी आयुक्त की ओर से नोटिस जारी कर प्रार्थी को कारण पूछा गया। दिनांक 17.5.2011 को प्रार्थी द्वारा प्रकरण को संयोज्य (Compound) कराने का प्रार्थना—पत्र जरिये निरीक्षक बाड़ी प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त आबकारी ने अधिनियम की धारा 70 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण को रूपये 10,00,000/— जमा कराने की शर्त पर Compound करते हुए विवादित आदेश पारित किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जबकि Compound राशि (under protest) दिनांक 28.11.2011 को जमा कराई जा चुकी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश में विधिविरूद्ध मांग कायम की गई हैं। आदेश विधि के बाध्यकारी प्रावधानों को नजरअंदाज कर नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध पारित किया गया है। अग्रिम कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों व नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रार्थी ने परमिट T.P. FL-6 No. ALR 210589 जो कि दिनांक 28.11.2010 तक वैध थी, को दिनांक 30.11.2010 तक के लिये पुनः वैध कराया जा चुका था। यह T.P. FL-5 No. JPR 246512 के विरूद्ध जारी करवाया था। इस प्रकार माल का परिवहन समय—सीमा में कराया जा रहा था।

यह भी कथन किया कि परमिट नं0 FL-5 No. JPR 246512 में परिवहन का रूट अलवर, नगर, डीग, धौलपुर दिया गया था, जिसमें आगरा का T.P. में कोई जिक्र नहीं था। इसलिए परिवहनकर्ता को राज्य के बाहर से रोड़ टैक्स चुकाकर जाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता था।

लगातार.....3

अग्रिम कथन किया कि आयुक्त आबकारी ने अधिनियम की धारा 58(सी) में वर्णित अधिकतम शास्ति रूपये 500/— प्रावधान की भी अनदेखी की है तथा शास्ति रूपये 10,00,000/— आरोपित की है, जो कि विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा अत्यधिक है।

उक्त आधारों पर अपील स्वीकार किये जाने तथा Under protest जमा राशि को लौटाये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने आयुक्त आबकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण को संयोज्य कराये जाने हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में उसका आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी के संयोज्य हेतु प्रार्थना—पत्र में कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिये प्रकरण को संयोज (Compound) कराया गया है। इसलिए अपील अस्वीकारणीय है।

अग्रिम कथन किया कि प्रार्थी द्वारा परमिट में विहित रूट का उल्लंघन करते हुए परमिट अवधि समाप्ति के पश्चात माल का परिवहन किया गया था। इसलिए अधिनियम की धारा 58(सी) का अपराध कारित होने से शास्ति विधिसम्मत आरोपित की गई है। अतः संयोज्य आदेश की पुष्टि करने व अपील खारिज किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा जिला आबकारी अधिकारी व आबकारी आयुक्त की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा विवादित माल परमिट में वर्णित स्थानों के अतिरिक्त रूट से माल परिवहनित कर लाया जा रहा था तथा परमिट की वैधता अवधि के पश्चात परिवहन किया गया है। हालांकि वैध अवधि को बढ़ाया भी जा चुका था। इस अपराध के लिये प्रार्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 58(सी) का अपराध कारित होना बताया गया है। धारा 58(सी) को उद्धरित करना समीचीन होगा :—

58. Penalty for certain acts by Licensee or his servants.-

Whoever being the holder of a licence, permit or pass granted under this Act or being in the employ of such holder and acting on his behalf -

(a) .....

(b) .....

(c) willfully does or omits to do anything in breach of any of the conditions of the licence, permit or pass not otherwise provided for in this Act :

shall be punished for each such offence with fine which may extend to five hundred rupees.

लगातार.....4

अधिनियम की धारा 58(सी) के अपराधों को धारा 70 के तहत संयोज्य (Compound) किया जा सकता है। धारा 70 में प्रावधित है कि —

70. Power of Excise Officers to compound offences.-

(1) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the Excise Commissioner or any other Excise Officer specially empowered by the State Government in that behalf may accept from any person whose licence, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under this Act, or who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under this Act, a sum of money not less than Rs. 5,000/- but not exceeding 10 times of the annual Licence fee in respect of manufacturing units / bonds and wholesale vends etc. and not more than two times of exclusive privilege amount in case of liquor and beer shops alongwith other levies applicable from time to time in lieu of such cancellation or suspension or by way of composition for such offence which may have been committed, as the case may be, and in all cases whatsoever in which any property has been seized as liable to confiscation under this Act may release all such property except an excisable article on payment of the value thereof as estimated by such officer and may confiscate the excisable article:

(2) On the payment of such sums of money to such officer, the accused person, if in custody, shall be discharged, the property seized shall be released and no further proceedings shall be taken against such person or property in respect of such offence.

इस प्रावधान के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त को विनिर्माण ईकाई/बोंड्स व होलसेल वेन्डर्स इत्यादि के मामलों में रूपये 5000/— से अधिक तथा वार्षिक लाईसेंस फीस के 10 गुणा तक संयोज्य राशि आरोपित किये जाने के प्रावधान हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपराध होलसेल कम्पनी द्वारा कारित किया गया है। इसलिए आबकारी आयुक्त द्वारा संयोज्य राशि रूपये 10,00,000/— निर्धारित की गई है, जो कि विधिसम्मत प्रतीत होती है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने नियम 77(डी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जिसके तहत जिला आबकारी अधिकारी, द्वारा संयोज्य किये जाने पर शास्ति राशि रूपये 500/— विहित की गई है। यह नियम आबकारी आयुक्त को धारा 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों पर लागूं नहीं होता है।

उक्त विवेचनानुसार आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 12.10.2011 की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है तथा अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

17.2.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
17/02/14